

24.7.23

घत्रावली पेठा दुई वादी खंबे वादी अचिवेखा अनुपस्थित
 घत्रावली का अवलोकन किया गया। घत्रावली पर वादी द्वारा
 पूर्व में ही दिनांक 13/7/23 को वाद विद्रो का प्रार्थना पत्र
 घत्रावली तलवी के प्रार्थना पत्र के साथ पेठा होश शा. फा. ६
 न्यायालय द्वारा वादी को ककु-ककु कर तीन बार भविष्य
 लगवाई गई बावजूद उनके वादी उपस्थित नहीं हुआ
 वादी न्यायालय समय समाप्त तक उपस्थित नहीं होने से
 वादी का वाद विद्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से प्रार्थना
 पत्र वाद विद्रो का स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा
 वाद विद्रो होने से वाद शी स्तर पर निस्तारित किया
 जाता है। निर्णय खरे इजलास सुनाया गया।
 प्रकरण फौजदारी मुकदमा नम्बर से कम
 है।

Prerna
 प्रतिभा वर्मा
 P.A.S
 उपखण्ड अधिकारी
 गिरवा, उदयपुर